भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3C0561

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 300867

-2-

4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–128, 123 व 151.
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.2814 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	भूमि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कूप/आदि	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 22,20,338/-
11.	मालियत	:	रु0 9,40,000/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 1,56,000/-

[illegible]

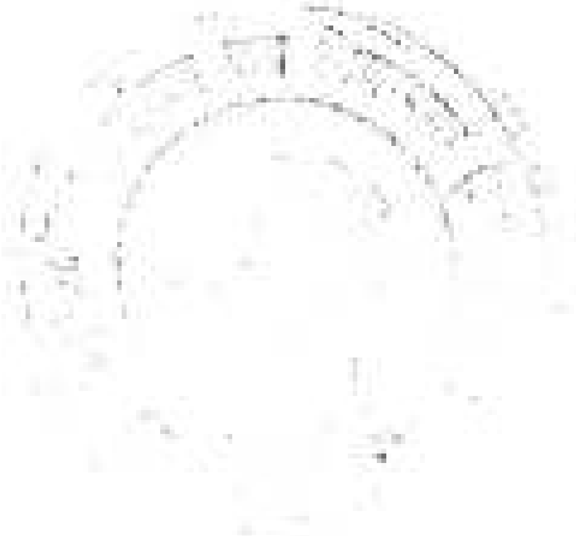

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

300583

चौहद्दी

खसरा सं0 126

पूरब	खसरा संख्या–213
पश्चिम	खसरा संख्या–122
उत्तर	खसरा संख्या–125
दक्षिण	खसरा संख्या–127

खसरा सं0 127

पूरब	खसरा संख्या–210
पश्चिम	खसरा संख्या–128
उत्तर	खसरा संख्या–122 व 126
दक्षिण	खसरा संख्या–129 व 130

[illegible]

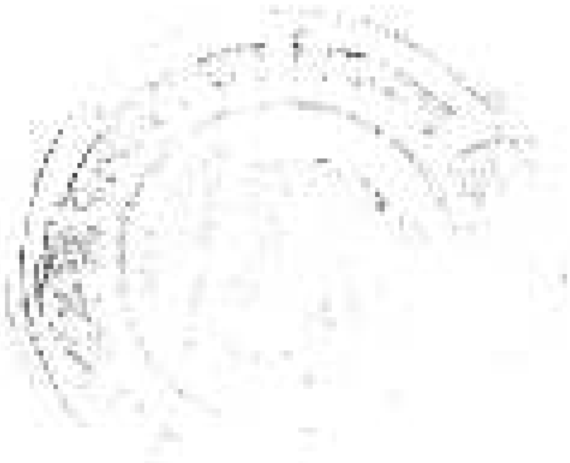

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 300584

- 4 -

[illegible] सं 707

पूरब : खसरा संख्या–162 व 164
पश्चिम : खसरा संख्या 148 व 149
उत्तर : खसरा संख्या–162, 158, 154
दक्षिण : खसरा संख्या–150

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या 01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
बुद्धि प्रसाद पुत्र राम [illegible], निवासी–[illegible] [illegible] [illegible], तहसील व जिला लखनऊ।		अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र शिव गोपाल सक्सेना वर्तमान पता–[illegible] तल, [illegible] बिल्डिंग, 15 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

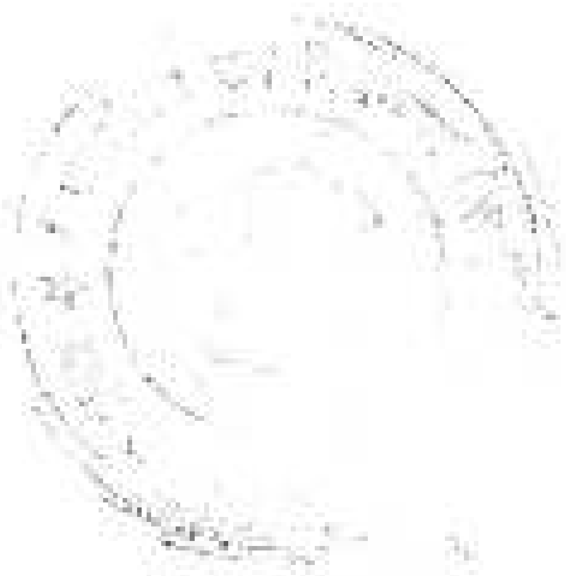

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 200585

-1-

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख हरि प्रसाद पुत्र राम चन्द्र, निवासी-हसनपुर खेवली परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र शिव गोपाल सक्सेना वर्तमान पता-तृतीय तल, गाईडहाउसबिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

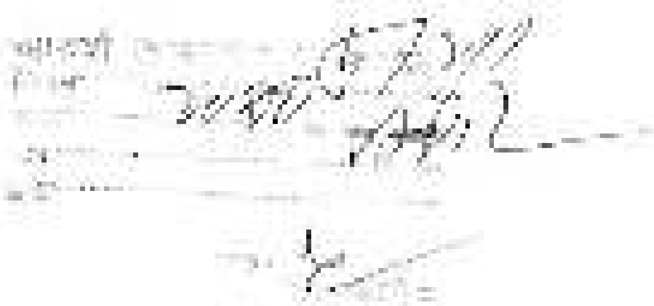

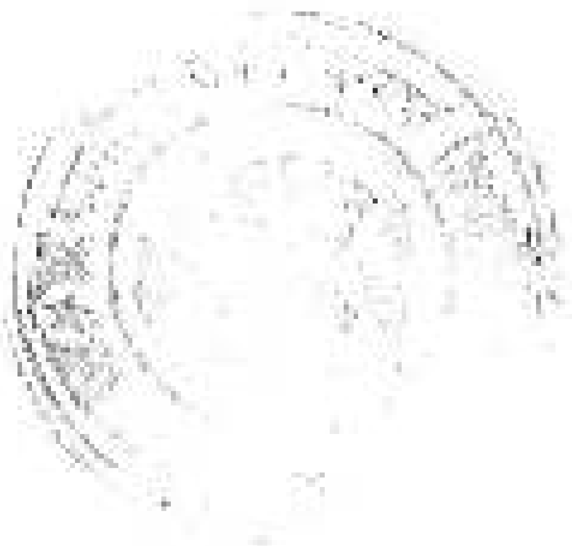

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 303586

यह कि विक्रेता पंचवर्षीय खाता खतौनी खाता संख्या–00231 फसली वर्ष 1413 से 1418 की चालू भूमि खसरा संख्या–126 रकबा 0.126 हेक्टेयर के 1/6 भाग यानि रकबा 0.0210 हेक्टेयर व खसरा संख्या–127 रकबा 0.253 हेक्टेयर के 1/6 भाग यानि रकबा 0.042 हेक्टेयर खतौनी खाता–00251 में खसरा संख्या–151 रकबा 0.523 हेक्टेयर के 1/3 भाग यानि रकबा 0.1743 हेक्टेयर कुल तीन किता व कुल रकबा 0.2374 हेक्टेयर स्थित ग्राम– हरदासपुर [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिज व काबिज है, जो कि विक्रेता को [illegible] प्राप्त हुई है, तथा

Amit Properties [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

200087

-7-

उपरोक्त हस्तान्तरित परवाधिक आला खतौनी खसरा संख्या –80231 व 80251 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि में 4-5 फिट गहरे गड्ढे हैं अथवा भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक

[illegible]

15000 रु. — भारतीय गैर न्यायिक — 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 — भारत INDIA — Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

060222

- 8 -

26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता की उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

के अन्तर्गत व अधिग्रहण से उत्पन्न प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त अराजी भाग विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वह सभी विक्रय, रेहन, इकरारनामा, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब फलतः एवं विक्रेता के उक्त अराजी उपरोक्त की गई पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी

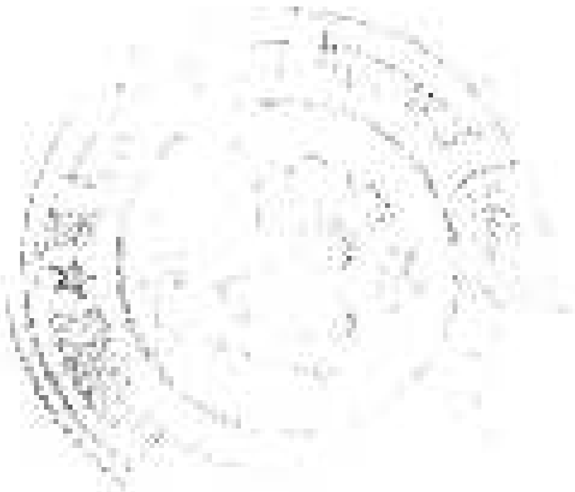

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 621638

पौधा व हक के साथ सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बजरिये मुताबिक रु0 22,28,236/- (रुपया बाईस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय कराई किया, और कुल विक्रय धनराशि बवक्त तहरीर दस्तावेज हासिल क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के मुताबिक प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मबीअुा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का मालिकाना कब्जा करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा विक्रय आराजी मबीअुा व विक्रय धनराशि के लेना ये बाकी नहीं रहा, अगर कोई दावा दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगा, और अगर आराजी

बदस्तूर पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की व इन्तकाल आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूर्ण अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग, जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर की अर्द्धनगरीय क्षेत्र के [illegible] के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की मालियत कीमत 30,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.2374 हेक्टेयर की मालियत रु0 5,49,000/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः

नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अंकित स्टाम्प शुल्क 1,56,050/- रू० अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर के सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

विवरण भुगतान

1. रू0 22,28,236/- (रुपया बाईस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ छत्तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या-023649 दिनांकित 29.07.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

[illegible]

के. सिंह

उप निबंधक (सदर)

[illegible]

के. सिंह

उप निबंधक (सदर)

[illegible]

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 22,28,230/- (रूपया बाईस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ तीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से सेहत जेहन व सबातअक्ल बिना किसी दबाव के, क्रेता हस्तांतरी के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक 05.12.2011
लखनऊ
गवाहान:

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

PAN AAACA0006D

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(जी0 मुजम्मिल हुसैन)
एडवोकेट

1574 2011 1

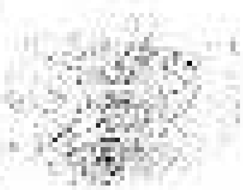

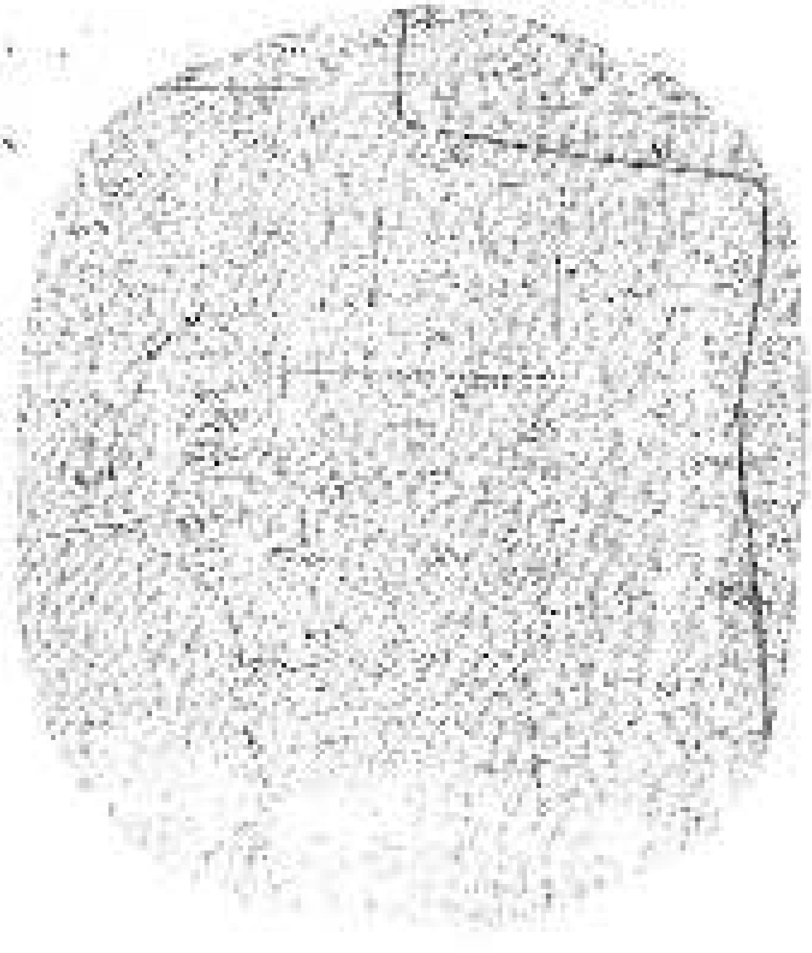

[illegible] 15/12/2011 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 13518

[illegible] 27 [illegible] 36 [illegible] 17634

[illegible] रजिस्ट्रीकृत [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (प्रथम)

[illegible]

[illegible]